Regarding cyber bullying on digital platform and social media

श्री चंदन चौहान (बिजनौर): माननीय सभापति महोदया, मैं इस सम्मानित सदन में, लोक महत्व के एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ ।

मैडम, इंटरनेट और सोशल मीडिया के मामले में आज दैनिक मानसिकता यह है कि इससे जिंदगियाँ छीनी जा रही हैं, प्रतिष्ठा नष्ट की जा रही है और सार्वजनिक संवाद में जहर घोल दिया जा रहा है । हमारे बीच जो सबसे कमजोर हैं, वे इसका शिकार सबसे पहले होते हैं । युवा और महिलाओं को लगातार सायबर बुलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है । यह महिलाओं को सार्वजनिक और ऑनलाइन जीवन में भाग लेने से रोकता है । आज कई परिवारों की अखंडता और व्यक्तियों की प्रतिष्ठा एक क्लिक से चकनाचूर हो रही हैं । यह उदाहरण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने के बारे में नहीं है । यह जवाबदेही का एक ढाँचा स्थापित करने के बारे में है । हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मानहानि, उत्पीड़न और हिंसा के लिए उकसाने का लाइसेंस नहीं बना सकते हैं । हमारे कानूनी ढाँचे को मजबूत करें । इसके लिए हमें वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी के अधिनियमों से परे जाकर उचित और सख्त नियम बनाने की आवश्यकता है । इन नियमों के तहत, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को स्पष्ट रूप से परिभाषित करनी चाहिए ।

सेंसरशिप खतरनाक और अवैध सामग्रियों पर एक आवश्यक नियंत्रण है, विशेष रूप से हमारे युवाओं के बीच जिम्मेदारीपूर्वक सोशल मीडिया का उपयोग सिखाने के लिए राष्ट्रव्यापी शैक्षिक अभियानों में निवेश करने की आवश्यकता है ।

मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा डिजिटल भविष्य एक चौराहे पर खड़ा है । हम या तो अपने समाज में गलत सूचनाएं, नफरत और भय को इरोड होने दे सकते हैं या यह सुनिश्चित कर सकते हैं और एक साहसिक एवं निर्णायक कदम उठा सकते हैं ताकि सोशल मीडिया एक अच्छे उपकरण के रूप में काम करे ।

मैं इस सदन के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि राजनीतिक विभाजन से ऊपर उठकर एक बेहतर समाज, एक सुरक्षित जिम्मेदारी और अधिक न्यायपूर्ण डिजिटल भारत के निर्माण में हम सभी साथ आएं ।

धन्यवाद ।

माननीय सभापति: डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद ? उपस्थित नहीं ।

डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन ।